यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

संख्या–123 / 2020
प्रविष्टि दिनांक–24.12.2020
दिनांक–10.01.2025

मोहम्मद पुत्र छोटे खां जाति मेवाती मुसलमान निवासी ग्राम मदारीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक
जू खां पुत्र छोटे खां जाति मेवाती मुसलमान निवासी ग्राम मदारीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक
प्रार्थी

बनाम

ीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 '2, 159/1, 53, 166, 197 वाके ग्राम मदारीपुरा, पटवार हल्का निम्हेडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। के प्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार है। जिसके प्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के पिता की के उपरान्त विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यो द्वारा संबंधित अधिकारी को प्रार्थी 01 का नाम अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व प्रार्थी संख्या 02 का नाम फज्जू खां पुत्र छोटे खां ही बताया किन्तु संहवन से नामान्तकरण भरते समय प्रार्थीगण का नाम क्रमशः गोटू पुत्र छोटे खां, गोल्या पुत्र छोटे खां कर दिया गया व खाता संख्या 24 व 23 में प्रार्थी संख्या 01 का नाम गोटू खां पुत्र छोटू खां कर दिया गया। क प्रार्थीगण के सही नाम अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे खां है। अतः प्रार्थीगण का नाम पुत्र छोटे खां व गोल्या पुत्र छोटे खां की जगह पर अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे खां त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की भूमि आराजी ख0न0 '2, 159/1, 53, 166, 197 वाके ग्राम मदारीपुरा, पटवार हल्का निम्हेडा में वर्णित भूमि आराजीयात के व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोटू पुत्र छोटे खां व छोटू खां, गोल्या पुत्र छोटे खां के स्थान पर अली मोहम्मद छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे खां किये जाने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी ोलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर ःन किया की ग्राम मदारीपुरा के राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान खाता संख्या 23 में गोटू खां पुत्र छोटू खां, खाता ा 24 में गोटू खां पुत्र छोटे खां तथा फज्जू पुत्र छोटे खां ओर खाता संख्या 25 में गोटू खां पुत्र छोटे खां गोल्या पुत्र छोटे खां जाति मेवाती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा ग्राम मोतबिरान अनुसार गोटू खां पुत्र छोटे व गोल्या पुत्र छोटे खां का सही नाम अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे खां है तथा बचपन ो दोनो को अली मोहम्मद व फज्जू के नाम से ही जाना जाता है। वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 23 में उक्त आंवटन से व खाता संख्या 24 व 25 में उक्त भूमि विरासत से होना बताया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। वक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 /2, 159/1, 53, 166, 197 वाके ग्राम मदारीपुरा, पटवार हल्का निम्हेडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। सके प्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार है। जिसके प्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के पिता की के उपरान्त विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यो द्वारा संबंधितं अधिकारी को प्रार्थी या 01 का नाम अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व प्रार्थी संख्या 02 का नाम फज्जू खां पुत्र छोटे खां ही बताया किन्तु संहवन से नामान्तकरण भरते समय प्रार्थीगण का नाम क्रमशः गोटू पुत्र छोटे खां, गोल्या पुत्र छोटे खां कर दिया गया व खाता संख्या 24 व 23 में प्रार्थी संख्या 01 का नाम गोटू खां पुत्र छोटू खां कर दिया गया। कि प्रार्थीगण के सही नाम अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे खां है। अतः प्रार्थीगण का नाम ू पुत्र छोटे खां व गोल्या पुत्र छोटे खां की जगह पर अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे खां स्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की भूमि आराजी ख0न0 ‌/2, 159/1, 53, 166, 197 वाके ग्राम मदारीपुरा, पटवार हल्का निम्हेडा में वर्णित भूमि आराजीयात के स्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोटू पुत्र छोटे खां व छोटू खां, गोल्या पुत्र छोटे खां के स्थान पर अली मोहम्मद छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे खां किये जाने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर वेदन किया की ग्राम मदारीपुरा के राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान खाता संख्या 23 में गोटू खां पुत्र छोटू खां, खाता ख्या 24 में गोटू खां पुत्र छोटे खां तथा फज्जू पुत्र छोटे खां ओर खाता संख्या 25 में गोटू खां पुत्र छोटे खां ा गोल्या पुत्र छोटे खां जाति मेवाती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा ग्राम मोतबिरान अनुसार गोटू खां पुत्र छोटे ं व गोल्या पुत्र छोटे खां का सही नाम अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे खां है तथा बचपन ही दोनो को अली मोहम्मद व फज्जू के नाम से ही जाना जाता है। वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 23 में उक्त मे आंवटन से व खाता संख्या 24 व 25 में उक्त भूमि विरासत से होना बताया गया है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, साक्ष्य शपथ पत्र ददाम पुत्र हबीब मिया जाति मुसलमान निवासी धन्ना तलाई, कच्ची बस्ती वार्ड संख्या 20, टोंक, साक्ष्य शपथ

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

यां पुत्र छोटे मियां जाति मुसलमान निवासी शेरू भाई की गली कीरी साहब के कए के पास टोंक व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थीगण का शुद्ध नाम अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे के भूमि आराजी ख0न0 118/2, 159/1, 53, 166, 197 वाके ग्राम मदारीपुरा, पटवार हल्का निम्हेडा रेकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम गोटू पुत्र छोटे खां व छोटू खां व गोल्या पुत्र छोटे खां दर्ज रिकॉर्ड है, जो अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **गोटू पुत्र छोटे खां व छोटू ल्या पुत्र छोटे खां** स्थान पर क्रमशः **अली मोहम्मद पुत्र छोटे खां व फज्जू खां पुत्र छोटे खां दी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा नाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार ख़ल हो।

(अनिता कुमारी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner